झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 01.03.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री संजीव सिंह स0वि0स0	धनबाद जिलान्तर्गत कार्यालय वाणिज्य-कर उपायुक्त, चिरकुण्डा अंचल, चिरकुण्डा द्वारा मैंथन चेक पोस्ट में अवैध रूप से विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी की मिलीभगत से पं0 बंगाल से प्रतिदिन बसों द्वारा हथियार, ड्रग्स एवं मेडिसीन की खुलेआम तस्करी हो रही है, जो मिडिया द्वारा भी आए दिन खबर में प्रकाशित होती रहती है। इसकी उच्चस्तरीय जाँच और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। यह राजस्व एवं राज्य के सुरक्षा हेतु भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चेक-पोस्ट है। अतः वर्णित चेक-पोस्ट पर पदास्थापित पदाधिकारी के कार्यो की उच्चस्तरीय जाँच कराकर राज्य के राजस्व एवं सुरक्षाहित में कार्रवाई की जाय, जिस ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	वाणिज्यकर
02-	श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0	"चतुर्थ चरण 1985 में तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 40 सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों का अंगीभूतिकरण किया गया था। इनमें 12 महाविद्यालय झारखण्ड के भी है। लम्बी न्यायिक प्रक्रियाओं के पश्चात् अन्ततः वर्ष 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा इनकी सेवाएँ नियमित और सम्पुष्ट की गई। विश्वविद्यालय ने इनकी सेवाएँ अधिग्रहण की तिथि से नियमित एवं सम्पुष्ट किया है,	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		जबकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने सभी शिक्षकों की सेवा सम्पुष्ट किये जाने की तिथि को स्पष्ट रूप से अपने न्याय निर्णय के आदेश के भाग-1 ANNEX-IV A में दर्ज करते हुए आदेश पारित किया है। विश्वविद्यालय की इसी गलती का परिणाम शिक्षक अपनी 30 वर्षो से अधिक की सेवावधि के बाद भी एक भी प्रोन्नति से वंचित है, जबकि इन्हीं के साथ बिहार में सभी शिक्षकों को प्रोन्नति देते हुए उनके बकाए राशि का भुगतान कई वर्ष पूर्व कर चुकी है।" अतः विश्वविद्यालय शिक्षकों की इस चिरलम्बित मामले का यथाशीघ्र हल किया जाना राज्य एवं विश्वविद्यालय हित में होगा, जिस ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	
03-	सर्वश्री डॉ0 इरफान अंसारी, शशिभूषण सामाड़ एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर स0वि0स0	जामताड़ा जिला के नारायणपुर, जामताड़ा करमाटॉड़ प्रखण्डों एवं मिहिजाम नगर में घोर पेयजल संकट व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 40 योजनाओं में मात्र दो ही चालू है। वर्ष 2015-16 में लगाये गये चापाकल पूरी तरह खराब हैं। ये सारे अव्यवस्था पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता कर्मियों एवं स्थानीय संवेदकों की मिलीभगत से वर्षो से उपरोक्त अनियमिताओं के लिए पूरी तरह जिम्मेवार है। अतः पेयजल प्रमण्डल जामताड़ा के पूर्व में कराये गए सभी कार्यो की उच्चस्तरीय जाँच हो साथ ही अविलंब युद्धस्तर पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था बहाल हो, कि ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता
04-	श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	राँची विश्वविद्यालय अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालय क्रमशः मॉडर कॉलेज, बुण्डु कॉलेज, के0सी0बी0 कॉलेज बेड़ो, बी0एन0 जलान कॉलेज सिसई के लगभग 115 शिक्षक विभिन्न विषयों में लगभग 30 वर्षो से कार्यरत है, किन्तु आज तक उन्हें 5वें व 6ठे वेतन का लाभ नहीं दिया गया है। जबकि उक्त चारो महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों को 5वें व 6ठे वेतन का लाभ मिल रहा है।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

कृ0पृ0उ0

		ज्ञातव्य है कि राँची विश्वविद्यालय के पत्रांक- RU/VC/R/368/05 दिनांक- 29.11.2005 की अधिसूचना के आलोक में उक्त 4 महाविद्यालयों में कार्यरत विभिन्न शिक्षकों का सामंजन विभिन्न महाविद्यालयों में रिक्त दूसरे विषय के पदो पर किया गया। किन्तु उक्त सामंजित शिक्षकों का अनुमोदन आज तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। फलस्वरूप अभी तक उक्त शिक्षकों का 5वें व 6ठे वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। अतः मैं उक्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का विभिन्न विषयों के पदो पर सामंजित करते हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 01 मार्च, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-1849/वि0 स0, राँची, दिनांक- 29.02.16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ वाणिज्य-कर विभाग/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
29/02/16
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-1849/वि0 स0, राँची, दिनांक- 29.02.16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
29/02/16
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

29.02.16